


|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| <p>तारीख हुक्म</p> | <p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>त्रिभुवन पाल. बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर )</p> <p>सू.अ.अ.अपील सं० 136/2023 (ऑनलाईन नं.353674894961833 )</p>  | <p>नं० व तारीख<br/>अहकाम जो इस<br/>हुक्म की तामील<br/>में जारी हुए</p> |
| <p>24.08.23</p>    | <p>अपीलार्थी त्रिभुवन पाल निवासी मं.नं. 205, पीपली चौक, टेकरी पुलिस लाईन, कजरीवाने कॉलानी, उदयपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 26.04.23. में उसके द्वारा (1) जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय द्वारा जोधपुर में पराग्लिडिंग एडवेचर का संचालन की अनुमति देने की नियमितिकरण व गाईडलाईन उपलब्ध कराने, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( कलक्टर कार्यालय जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से जरिये पत्रांक 1034 दिनांक 22.08.23 रिपोर्ट प्राप्त हुए जिसके अनुसार अपीलार्थीया/प्रार्थीया को प्रभारी अधिकारी, सामान्य एवं न्यायिक अनुभाग कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक 1036 दिनांक 21.08.23 जरिये बिन्दुवार सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अतः इस स्टेज पर अपील निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> <br/> ( हिमांशु गुप्ता )<br/> जिला कलक्टर जोधपुर<br/> <b>जिला कलक्टर, जोधपुर (रा.ब.)</b> </p> |  |